दिनाँकः 09.04.2021

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी अनुपस्थित जब कि विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी की तरफ से उसके अधिवक्ता या पैरोकार आज न तो उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को संचालित करने का इच्छुक प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

आदेश

वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति तथा विपक्षीगण अधिवक्ता की उपस्थित में अंतर्गत आदेश 9 नियम 8 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

कृपा शंकर

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

ID NO. UP02625